3. प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थान तथा अवशेष अधिनियम, 1958 की धारा 38 की उप-धारा (4) के अन्तर्गत प्राचीन स्मारक तथा पुरातत्वीय स्थान तथा अवशेष (संशोधन) नियम, 1966 की एक प्रति जो दिनांक 20 नवम्बर, 1966 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या एस० ओ० 3520 में प्रकाशित हुए थे। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**-237/67]

4. (एक) विक्टोरिया स्मारक, कलकत्ता के न्यासधारियों की कार्यकारिणी समिति के 1963-64 और 1964-65 के वार्षिक प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति।

(दो) उक्त प्रतिवेदनों को सभा-पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण बताने वाला एक विवरण।

[**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**- 185/67]

5. विक्टोरिया स्मारक, कलकत्ता के न्यासधारियों की कार्यकारिणी समिति के 1965-66 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति। [**पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०**-238/67]

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रस्ताव—जारी
MOTION OF THANKS ON THE PRESIDENT'S ADDRESS—Contd.

अध्यक्ष महोदय : अब सभा ता० 21-3-67 को सभा में प्रस्तुत निम्नलिखित प्रस्ताव पर विचार करेगी कि राष्ट्रपति की सेवा में इन शब्दों में समावेदन प्रस्तुत किया जाये :

"कि इस सभा में समवेत लोक सभा के सदस्य राष्ट्रपति के उस अभिभाषण के लिये जो कि उन्होंने 18 मार्च, 1967 को एक साथ समवेत संसद् की दोनों सभाओं के समक्ष देने की कृपा की थी उनके अत्यंत आभारी हैं।"

प्रधान मंत्री तथा अणुशक्ति मंत्री (श्रीमती इन्दिरा गांधी) : अध्यक्ष महोदय, संसद् का यह अधिवेशन तीन महीनों के बाद हो रहा है और इस बीच में भारत के राजनीतिक जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। इससे यह सिद्ध होता है कि हमारे देश में अभी जान है, हमारी लोकतंत्रीय पद्धति सजीव हैं और इसमें भारतीय लोगों की गहरी आस्था है।

जीवन परिवर्तनशील है। भारत के राजनीतिक जीवन में एक परिवर्तन आया है। यह केवल कांग्रेस दल के लिये ही नहीं बल्कि प्रतिपक्षी दलों के लिये भी है। हमारे सामने सभा में भी अनेक सदस्य नये हैं और मेरा ऐसा विचार था कि ये नये सदस्य कुछ नये प्रकार के विचार प्रकट करेंगे जिनसे लोकतंत्र की जड़ मजबूत होगी। परन्तु अभी तक इसका प्रमाण नजर नहीं आता।

कुछ राज्यों में प्रतिपक्षी दलों ने शासन संभाला है। मुझे इससे कोई द्वेष नहीं है बल्कि मैं इस पर प्रसन्न हूं क्योंकि अब सत्ता के साथ ही उन पर जिम्मेदारी भी आ गई है। मेरे लिये यह कोई महत्व की बात नहीं है कि किस राज्य में किस दल ने सरकार बनाई है। इससे भी अधिक महत्वपूर्ण बात तो यह है कि देश की समस्याओं को कैसे सुलझाया जाये। इस बार कुछ लोगों ने राजनीति में सौदे भी किये हैं और उन सौदों से उन्होंने कई स्थानों पर सत्ता प्राप्त की है। कुछ कांग्रेसी भी ऐसे लोगों में हैं।

आज का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है अनाज का। देश के कुछ भागों में सूखा पड़ा है। मैंने हाल ही में बिहार का दौरा किया है और मैंने गंगा के मैदानों में इतना भयंकर सूखा पहले कभी नहीं देखा। अब थोड़ी वर्षा हुई है, इससे थोड़ी सी राहत तो मिलेगी ही। परन्तु संकट पूरी तरह से टल नहीं जायेगा। इस संकट का सामना करने के लिये बहुत कुछ किया जा चुका है। मैं यह भी समझती हूं कि इस सम्बन्ध में तेजी से व्यापक काम करने की आवश्यकता है। इसके लिये आवश्यक उपकरण और सामान आदि देने के लिये केन्द्र भी पूरा प्रयास करेगा।

मैं, श्री जयप्रकाश नारायण की अध्यक्षता में बनाई गई बिहार सहायता समिति की सराहना करती हूं। उनके कार्यकर्त्ताओं का दल बहुत अच्छा काम कर रहा है।

आज हमारे सामने सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अनाज और देश के कुछ भागों में सूखे की स्थिति का है। मैंने पालामऊ और मिर्जापुर का दौरा किया है। पालामऊ जिले में मैंने सुना था कि ढाई लाख काम करने वाले लोगों में से दो लाख लोग काम पर लगे हुए थे। परन्तु गैर-सरकारी अभिकरणों की सहायता की हमें और आवश्यकता है। मुझे मिर्जापुर में भूख से मृत्यु हो जाने के कुछ समाचार मिले थे। तब मैंने अधिकारियों से इस मामले के बारे में बातचीत की। यह स्वाभाविक ही है कि जब तक हमें विस्तृत जानकारी नहीं मिल जाती तब तक उस मामले की जांच करना कठिन हो जाता है। भूख से मृत्यु होने के मामले को माननीय सदस्यों ने यहां पर भी उठाया था। जहां तक भूख से मृत्यु होने का सम्बन्ध है यह पता लगाना वास्तव में कठिन है कि आया मृत्यु भूख के कारण हुई है अथवा लम्बे समय से अपर्याप्त भोजन मिलने के कारण या खुले में रहने से रोग लग जाने के कारण हुई है। परन्तु यह समय हर प्रकार की आवश्यक सहायता देने का है।

अनाज की कमी सारे देश में है। अतः हम सभी राज्यों की मांग पूरी नहीं कर सकते है। आवश्यकता इस बात की है कि सारा देश इस विपत्ति में साझेदार हो। हमें शक्ति का संचय करना चाहिये तथा फिजूलखर्ची को कम करना चाहिये। ऐसा हम केवल राज्यों के सहयोग से कर सकते हैं। इसके लिये हम सबको मिलकर एक देशव्यापी योजना बनानी चाहिये।

किसी माननीय सदस्य ने कहा था हम भूखे मर जायेंगे परन्तु विदेशों से अनाज नहीं मंगवायेंगे। मेरे विचार से वर्तमान स्थितियों को देखते हुए ऐसा कहना ठीक नहीं है।

हमारे सामने प्रमुख समस्यायें अनाज और सूखे की स्थिति के लिये सहायता देने की हैं। गत

वर्ष भी हमारे सामने इस प्रकार की समस्या आई थी जिसे हम ठोस प्रयत्न करने से ही टाल सके थे। यह वर्ष और भी कठिन है क्योंकि हमारे रक्षित भण्डार खत्म हो गये हैं तथा हमें निश्चित रूप से यह भी पता नहीं है कि अनाज कितना सप्लाई किया जायेगा। हमारे खाद्य मंत्री अल्पकालीन फसल कार्यक्रम तैयार कर चुके है और हमें उसे सफल बनाने का प्रयत्न करना चाहिये। हमें देश भर में सघन खेती कार्यक्रमों में और तेजी लानी चाहिये। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में इस तुरन्त समस्या का समाधान करने के लिये कई काम किये जा रहे हैं। हम यह नहीं भूले हैं कि राजस्थान तथा अन्य भागों में भी ऐसी समस्या है। खाद्य मंत्री की अध्यक्षता में बनी संयुक्त आपात समिति की लगभग तीन बैठकें हो चुकी हैं। बिहार में सहायता कार्यों और योजनाबद्ध योजनाओं पर लगभग 6 लाख 50 हजार लोगों को काम पर लगाया जा चुका है। सबसे कठिन मई और जून के महीनों में यह संख्या 16 लाख तक पहुंच सकती है। 3 लाख 50 हजार से भी अधिक लोगों को राज्य की ओर से मुफ्त सहायता दी गई है तथा 2 लाख 60 हजार लोगों को गैर-सरकारी अभिकरणों द्वारा चलाये जा रहे रसोईघरों से मुफ्त खाना दिया गया है। 'केयर' तथा 'यूनिसेफ' जैसे अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों द्वारा 14 लाख 60 हजार लोगों को दूध दिया जा रहा है। इटली ने भी हमें लगभग 60 से 70 लाख रुपये के मूल्य का 10,000 टन दूध उपहार के रूप में दिया है। पीने के पानी की भी एक कठिन समस्या है तथा केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में 5 करोड़ रुपये की योजनाओं को मंजूरी दे दी है। लगभग 66 रिग चालू हैं तथा 33 स्थान पर पहुंच चुके हैं। मवेशी कैम्पों में 5 लाख पशुओं की व्यवस्था की गई है तथा 1,30,000 एकड़ भूमि पर चारा/फसलें उगाने की अल्पकालीन योजनायें बनाई गई है। बिहार को अनाज की सप्लाई लगातार बढ़ाई जा रही है। उत्तर प्रदेश और बिहार को सूखा सहायता कोष से 50 लाख से अधिक रुपये दिये गये हैं। लोगों के स्वास्थ्य के सिलसिले में भी कार्यवाही की जा रही है। परन्तु मैं इस बात को मानती हूं कि इन उपायों में और काफी वृद्धि की जानी चाहिये।

हमारे देश में कृषि के उत्पादन में कमी आर्थिक स्थिति की कठिनाई के कारण ही हुई है। इसलिये हमें कृषि के उत्पादन को बढ़ाने और वर्तमान खर्चे को कम करने के लिये हर सम्भव प्रयत्न करना चाहिये। हमें ऊँचे दामों से राहत तभी मिल सकती है जब हम उत्पादन बढ़ायेंगे और बजट को नियंत्रण में रखेंगे। हमें सबसे पहले चालू कारखानों को सुव्यवस्थित करना चाहिये। दूसरे उनकी पूरी क्षमता का प्रयोग किया जाना चाहिये। हमें आगामी 10 वर्षों में अपने स्वदेशी के लक्ष्य को प्राप्त करने का भी प्रयत्न करना चाहिये। प्रशासन में भी परिवर्तित परिस्थितियों की वजह से तरीकों और दृष्टिकोण में परिवर्तन किया जाना चाहिये। हम सरकारी कारखानों को और अधिक स्वायत्तता देने की कोशिश कर रहे हैं तथा वित्त सम्बन्धी प्रक्रिया को भी सरल बना रहे हैं ताकि देरी को रोका जा सके।

बहुत से सदस्य सरकारी क्षेत्र के बारे में बोले थे। इसमें कोई सन्देह नहीं कि सरकारी क्षेत्र में भी कमियां हैं परन्तु इसने अच्छा काम भी किया है। मैं इस बात से सहमत हूं कि सरकारी क्षेत्र को अच्छी तरह से चलाया जाना चाहिये, इसे अच्छे परिणाम दिखाने चाहिये तथा इसमें नये संसाधन पैदा किये जाने चाहिये।

योजना आयोग के भविष्य के बारे में बहुत रुचि ली गई है। यह बड़े दुख की बात है कि इस आयोग की चर्चा भी की गई है। इसने तो बहुत अच्छा काम किया है। इसने हमारे राष्ट्रनिर्माताओं की आर्थिक विचारधारा को ठोस नीतियों का रूप दिया हैं और इस प्रकार उसने केन्द्र और राज्यों के बीच चर्चाओं के लिये एक उपयोगी मंच की व्यवस्था की है। इस उद्देश्य को योजना आयोग के बिना पूरा करना सरकार के लिये कठिन हो जाता। मैंने यह महसूस किया है कि आयोग को आर्थिक विकास की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये। यह एक प्रकार की विशेषज्ञ संस्था होनी चाहिये जो हमें कुछ विकल्प बता सके। योजना आयोग पर यह भी आरोप लगाया गया था कि वह राज्यों पर अतिक्रमण करता हैं। यह बात गलत है। दूसरे योजना सम्बन्धी मुख्य निर्णय तो राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा ही किये जाते हैं जिसमें केन्द्र और राज्यों दोनों के ही प्रतिनिधि होते हैं।

बहुत से माननीय सदस्य केन्द्र और राज्यों के आपसी सम्बन्ध के बारे में बोले हैं। कुछ मुख्य मंत्रियों ने भी इस सम्बन्ध में वक्तव्य दिये हैं। परन्तु मेरे विचार से ऐसी कोई आशंका नहीं होनी चाहिये कि इनके बीच कोई संघर्ष होगा। हमारा संविधान बहुत मजबूत है। नई राज्य सरकारों का रवैया भी उत्साहजनक है। मैं भी यह बताना चाहती हूं कि केन्द्रीय सरकार का रवैया भी उनके साथ मिलकर रहने का होगा।

बहुत से माननीय सदस्यों ने भ्रष्टाचार का उल्लेख किया था। हम व्यक्तिगत प्रतिष्ठा बनाये रखना चाहते हैं। प्रशासनिक सुधार आयोग ने लोकपाल और लोक आयुक्त के पद की सिफारिश की है। हमने इस बारे में विचार कर लिया है परन्तु हम राज्यों की राय भी लेना चाहते हैं।

भाषा के प्रश्न पर भी बहुत से सदस्य बोले हैं। हमारा मत वह है कि हमारी सभी भाषायें राष्ट्रीय भाषायें है तथा उनका समान स्थान है। यदि कोई राज्य चाहे तो उनमें से किसी भी भाषा को राजभाषा बना सकता है। परन्तु हम सब के लिये वह भी आवश्यक है कि हम एक दूसरे को समझ सकें। यही कारण था कि हम चाहते थे कि भाषा राष्ट्रीय सम्पर्क भाषा होनी चाहिये। हमने यह आश्वासन दे रखा है कि अंग्रेजी को तब तक एक सहायक सम्पर्क भाषा के रूप में रखा जायेगा जब तक ऐसा आवश्यक समझा जायेगा। इस आश्वासन को औपचारिक रूप देने के लिये हम आगामी अधिवेशन में एक विधेयक प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जब मुख्य मंत्री यहां आयेंगे तो उर्दू भाषा का प्रश्न भी उनके सामने रखा जायेगा। मुझे आशा है कि इस समस्या को संतोषजनक तरीके से हल कर लिया जायेगा।

शिक्षा आयोग के प्रतिवेदन के बारे में सरकार के निर्णय की घोषणा होने में देरी होने की बात भी कही गई थी। शिक्षा मंत्री इस आयोग के स्वयं सदस्य थे तथा मुझे आशा है कि वह अपना निर्णय घोषित करने के लिये एक दिन नियत कर देंगे। वह शिक्षा मंत्रालय में एक युवक डिवीजन भी बना रहे हैं।

एक नये सदस्य राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बोले थे। इस बारे में हमारे संविधान में स्पष्ट उल्लेख है। हमारी प्रथाएं भी सुव्यवस्थित हैं।

हमारे देश में हरिजनों, आदिम जातीय लोगों तथा भूमिहीन श्रमिकों की स्थिति सबसे बुरी है और हमें उनकी सहायता करने में अपनी पूरी शक्ति लगानी चाहिये।

अब मैं विदेशों के साथ भारत के सम्बन्ध के बारे में कुछ कहूंगी। माननीय सदस्य श्री मसानी ने कहा था कि हमारा कोई मित्र नहीं हैं। मेरे विचार से यह जानना कि कौन किसका मित्र हैं यह बड़ी कठिन बात है। मेरे विचार से हम मित्रहीन नहीं हैं। आवश्यकता पड़ने पर भिन्न विचारधारा तथा भिन्न व्यवस्था वाले देशों ने हमारी सहायता की है। हमारे मित्र देश सभी महाद्वीपों में हैं।

हमने राष्ट्रीय हितों को आर्थिक, राजनैतिक और सामरिक दृष्टिकोण से बढ़ाने तथा अन्तर्राष्ट्रीय सहयोग और शान्ति का विस्तार करने का सदैव प्रयास किया है। हमारा पहले भी यही लक्ष्य था तथा भविष्य में भी यही लक्ष्य रहेगा। मैं एक और बात स्पष्ट कर देना चाहती हूं। कई माननीय सदस्यों का यह विचार है कि हम उस नीति को अपनाये रखते हैं जिसकी घोषणा कर दी जाती है चाहे वह नीति अच्छी न हो। परन्तु ऐसी बात नहीं है। सभी नीतियों का निरन्तर पुनरीक्षण किया जाता है क्योंकि यदि उनसे प्रयोजन पूरा नहीं होता है तो उन्हें समाप्त कर दिया जाये।

जो लोग जातिवाद और उपनिवेशवाद के विरुद्ध लड़ रहे हैं हम उनके लक्ष्य का समर्थन करते है। हम दक्षिण अफ्रीका, अंगोला, मोजाम्बीक, पुर्तगाली गिनी, दक्षिण रोडेशिया, अदन तथा अन्य ऐसे देशों के अधिकारों के लिये बहुत चिंतित हैं जो अभी स्वतंत्र नहीं हुए हैं।

भारत और पाकिस्तान दोनों के यह हित में है कि वे अधिकांश मामलों में सहयोग से काम करें। हम पड़ोसी देश हैं और हमारी समस्यायें और कठिनाइयां भी एक सी है। हम पाकिस्तान के साथ मेल-जोल बढ़ाने के लिये हर सम्भव प्रयत्न करते रहेंगे। चीन के बारे में भी हमारी नीति स्पष्ट ही है। चीन की जनता के साथ हमारा कोई झगड़ा नहीं है। हम चीन के झगड़े में कठोर रवैया नहीं अपनाना चाहते। हम चाहते हैं कि कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाये जिससे हम वर्तमान गतिरोध से निकल सकें। इस बात की हमेशा कमी रही है परन्तु मैं नहीं समझती कि हमें इस कारण चुप बैठ जाना चाहिये। जहां तक वियतनाम का सम्बन्ध है प्रो० मुकर्जी ने कहा था कि हम वियतनाम के मामले में चुप रहे है परन्तु दूसरी ओर कुछ माननीय सदस्य हमें हमेशा यही कहते रहते हैं कि हम वियतनाम से बारे में बहुत कुछ कहते हैं। सच्चाई तो यह है कि जब आवश्यकता पड़ी हमने अपना मत प्रकट किया है। हमें पूरी आशा है कि वियतनाम में शीघ्र ही शान्ति स्थापित हो जायेगी। हमने महासचिव यू थान्ट के प्रस्ताव समेत बहुत से और शान्ति प्रस्तावों का स्वागत किया है। हमें आशा है कि यह समस्या लड़ाई की बजाये अब बातचीत से हो सकेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, गत कुछ समय से इस सभा में जानबूझ कर ऐसे प्रश्न उठाने का प्रयास किया जा रहा है जिनका सम्बन्ध मेरी व्यक्तिगत वस्तुओं से अथवा उन उपहारों से होता है जो मुझे विदेशी उच्च-पदाधिकारियों से प्राप्त हुए हैं। मैं इन आरोपों का इस सभा में कई बार खण्डन कर चुकी हूं और आज फिर मैं उनका जोरदार शब्दों में खण्डन करती हूं। जब से मैं इस संसद की सदस्या बनी हूं अथवा जब से मैंने सरकारी पद सम्हाला है तथा उससे पहले भी मैंने उपहारों को स्वीकार करने सम्बन्धी नियमों और परम्पराओं का उल्लंघन नहीं किया है। मुझ पर जो आरोप लगाने का प्रयत्न किया गया है वे आरोप झूठे हैं। मैं समय-समय पर ऐसे आरोपों का खण्डन करती रही हूं। सऊदी अरब के राजा द्वारा दस वर्ष पूर्व मुझे दिये गये हीरों के हार का उल्लेख किया गया था तथा मैंने अध्यक्ष महोदय को इस बारे में पूरा हाल लिख दिया है। मैं इन आरोपों के बारे में चिन्तित नहीं हूं परन्तु यहां पर चरित्र हनन करने का जानबूझ कर प्रयास किया जाता है तथा इस बारे में सभा ही निश्चय कर सकती है कि वह व्यक्तिगत आक्षेपों के लिये कब तक अनुमति देती रहेगी। मैं इस बारे में कुछ और भी कहना चाहूंगी। 1955 में उस समय के प्रधान मंत्री यानी मेरे पिताजी ने यह विचार व्यक्त किया था कि ऐसे उपहारों को संग्रहालयों में रखा जाना चाहिये। उन्हें प्राप्तकर्ताओं को अपने पास नहीं रखना चाहिये। वह और मैं ऐसा ही करते रहे हैं। उस उपहार को छोड़कर जो रूस का दौरा करने पर मुझे श्री ख्रुश्चेव ने दिया था मैंने कोई भी उपहार अपने पास नहीं रखा है। वह भी मैंने इस कारण अपने पास रखा था क्योंकि जिस ढंग से वह दिया गया था यदि मैं उसे अपने पास न रखती तो गलतफहमी उत्पन्न हो सकती थी। दूसरे हमारी यह प्रथा नहीं है कि विदेशी मित्र देशों के उच्च-पदधारियों या उनकी सरकारों के प्रधानों से प्राप्त सभी उपहारों के ब्योरे को सार्वजनिक रूप से प्रकाशित किया जाये। उपहार विभिन्न प्रकार के होते है तथा उनकी सूची प्रकाशित करने से विभिन्न देशों द्वारा दिये गये उपहारों की तुलना सी हो जाती है जो विभिन्व देशों के लिये परेशानी का विषय बन सकती है तथा जिस वजह से बढ़े हुए सम्बन्ध होने के नाते बनी हुई प्रतिष्ठा गिर सकती है। यह बताना भी लोक हित में नहीं है कि व्यक्तिगत उपहारों को किस प्रकार निपटाया जाता है क्योंकि ऐसा करने से उपहार देने वाले इसे अपने प्रति अशिष्ट व्यवहार समझ सकते हैं। परन्तु ऐसी सभी वस्तुओं की एक पूर्ण सूची बनाई जाती है।

हमने कुछ समय पहले आचार संहिता अपनाई थी। उसे संसद् में भी प्रस्तुत किया गया था। उसके अधीन केन्द्र के सभी मंत्री अपनी आस्तियों और देनदारियों का विवरण प्रधान मंत्री को देते हैं। चाहे उस संहिता में प्रधान मंत्री के लिये कोई भी प्रक्रिया निर्धारित नहीं की गई है परन्तु फिर भी मैं अपने साथियों के साथ अपना विवरण भी रखती आ रही हूं। मैं और मेरे साथी हम पर लगाये गये आरोपों का उत्तर देने से कभी नहीं कतराते हैं।

देश की स्थिति का सही-सही अनुमान लगाने के लिये देश ने स्वतंत्रता के बाद जो भी प्रगति की है उसे नहीं भुलाया जा सकता। इसमें कोई सन्देह नहीं कि सरकार ने कुछ गलतियां भी की हैं। हम उन गलतियों को छिपाना नहीं चाहते है। हमसे गलतियां अवश्य हुई है परन्तु यह जो

इस तरह की स्थिति अब उत्पन्न हुई है इसके कई कारण है। हमारी सीमाओं पर आक्रमण हुए हैं। इसकी वजह से हमें अपनी प्रतिरक्षा व्यय में वृद्धि करनी पड़ी इसके अलावा और कई समस्यायें उत्पन्न हुई जिनका मैं पहले ही उल्लेख कर चुकी हूं। परन्तु ऐसी स्थिति का सामना करने के लिये हम सबको अब एक होना होगा। राष्ट्रीय समस्या राष्ट्रीय दृष्टिकोण से ही देखी जानी चाहिये। उसके समाधान के लिये भी राष्ट्रीय स्तर पर प्रयास किया जाना चाहिये। विभिन्न दलों के सदस्यों को अब यह दिखा देना चाहिये कि देश-व्यापी समस्या का हल खोजने के लिये वे भी आतुर हैं। उन्हें एक ऐसा सांझा कार्यक्रम तैयार करना चाहिये जो सीधे क्रियान्वित किया जा सके।

राष्ट्रपति के अभिभाषण में नीति के कुछ पहलुओं को स्पष्ट रूप से बताना सम्भव नहीं था। वे पहलू अगले सत्र में स्पष्ट हो जायेंगे। जो कुछ भी निकट भविष्य में किया जाना है उसकी झलक राष्ट्रपति के अभिभाषण में अवश्य मिलती है।

Shri Madhu Limaye (Monghyr): Cannot we ask questions about clarification ?

Mr. Deputy Speaker: One question could be asked.

Shri Gunanand Thakur (Saharsa): Our Prime Minister, Shrimati Indira Gandhi had gone to Gaya, Palamau etc. about six months back. One Minister of Bihar has also said in a newspaper of Bihar named 'Indian Nation' that one hundred and fifty-seven persons have starved to death in district Gaya alone. May I therefore know from Hon. Minister as to what steps she is going to take in this connection ?

उपाध्यक्ष महोदय: आपने जानकारी नहीं दी है।

Shri Madhu Limaye: The Hon. Member wants to know whether the Prime Minister is aware of this fact ?

Shri Gunanand Thakur: I am sorry the Prime Minister has not mentioned this point in her speech.

Shri Balraj Madhok (South Delhi): The Prime Minister has not said anything about the elections in Kashmir. I want that atleast a high-powered probe should be launched in this connection.

उपाध्यक्ष महोदय: यह कोई प्रश्न नहीं है। आपने सुझाव दिया है।

Shri Balraj Madhok: Shall the Prime Minister say anything in this connection.

Shrimati Indira Gandhi: All these things are before the election commission.

Shri Sarjoo Pandey (Ghazipur): The Prime Minister has said in her speech that the condition of Uttar Pradesh is very bad. May I therefore know whether she is going to issue instructions to Uttar Pradesh Government not to charge levies from the famine-stricken areas for some time and postpone it for the time being.

Shrimati Indira Gandhi: We have already issued instructions ?

Shri Gunanand Thakur: The Chief Minister has set up an enquiry commission in connection with two starvation deaths in Muzaffarpur District. May I know what has been done in the case of Gaya and Saharsa districts ?